



अंचल अधिकारी का न्यायालय मानगो, बी० पी० एल० ई० वाद संख्या- 03/2020-21

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
21.9.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह वाद से संबंधित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने राजस्व कागजातों एवं स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया है कि अतिक्रमणकारी ने अवैध रूप से अनावार बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। अतिक्रमणकारी को सेक्सन- 3 के तहत नोटिस निर्गत किया गया था। अतिक्रमणकारी उपस्थिति दी गई है। अतिक्रमणकारी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किये हैं जो अभिलेख के साथ संलग्न हैं। अतिक्रमणकारी के द्वारा संबंधित भूमि के स्वामित्व से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतिक्रमणकारी के पास कोई ऐसा साक्ष्य या कागजात नहीं है, जिसके आधार पर प्रमाणित हो कि मौजा- तुरियाबेड़ा, खाता नं०- 151, प्लॉट नं०- 246, रकवा- 20'X20' भूमि पर अतिक्रमणकारी का स्वामित्व बनता है। वर्णित भूमि पर पक्का निर्माण कर लोक भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमणकारी के द्वारा अतिक्रमित भूमि अनावार बिहार सरकार (वर्तमान झारखण्ड सरकार) की भूमि है तथा विहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत बी० पी० एल० ई० एक्ट की धारा 2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत है।</p> <p>अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत अतिक्रमणकारी राम चरण साव पिता बिन्देश्वरी साव सा० तुरियाबेड़ा, थाना एम० जी० एम० मानगो जमशेदपुर का अच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिक्रमणकारी को बी० पी० एल० ई० एक्ट के तहत नोटिस करें कि उक्त वर्णित भूमि पर से अतिक्रमणकारी पन्द्रह दिनों के अन्दर अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा बल पूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिक्रमणकारी से वसूली जाएगी। विहित प्रपत्र में सूचना निर्गत करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               समीहर्ता              बी० पी० एल० ई० एक्ट के              अन्तर्गत सह              अंचल अधिकारी              मानगो         </div> <div style="text-align: center;">               समीहर्ता              बी० पी० एल० ई० एक्ट के              अन्तर्गत सह              अंचल अधिकारी              मानगो         </div> </div>	